तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज श्रवणराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 71 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.06..20	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित रहा। संक्षित में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्रवणराम पुत्र संग्रामराम पता जंभेश्वर नगर, कांकाणी ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.01..20 में उसके द्वारा (1) निर्वाचक नामावली में सन् 1983 में भाग सं0 61 के कमांक 250 पर भाणकी पत्नी भेराराम स्त्री उम्र 48 था जबकि 1984 से 1988 के बीच में इनका नाम निर्वाचक नामावली से काटा गया या हटाया गया इनका नाम क्यों व कब हटाया गया इसकी पूर्ण जानकारी व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	